प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 के शताब्दी चिकित्सालय फेज-1 के तृतीय तल पर आर्गन ट्रान्सप्लान्ट आई0सी0यू0 की स्थापना/निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8341/योजना एवं क्रय/2015 दिनांक 24-9-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में के0जी0एम0यू0 के शताब्दी चिकित्सालय फेज-1 के तृतीय तल पर आर्गन ट्रान्सप्लान्ट आई0सी0यू0 की स्थापना/निर्माण हेतु रू0 1,57,41,000/- (रूपया एक करोड सतावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 65,08,500/- (रूपया पैसठ लाख आठ हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) चिकित्सा विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
5) चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
6) चिकित्सा विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7) परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व चिकित्सा विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
8) प्रायोजना का सक्षम स्तर से से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10) प्रायोजनान्तर्गत जिन मदों में शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं हो, इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः चि0वि0वि0/कार्यदायी संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
11) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था ई-प्रबन्धन की वेबसाइट पर परियोजना का माइलस्टोन अंकित कर शासन को अवगत करायेगी।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 34/2016/742(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।